भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2293
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएसएफपीआई योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं

†2293. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः
श्री के. सुधाकरनः
श्री तनुज पुनियाः
डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (पीएमएफएमएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत परियोजनाओं और अनुदानों के राज्यवार वितरण का ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत पांच सौ परियोजनाओं के योजना-अवधि समाप्त होने के बावजूद अपूर्ण रहने या कार्यशील न होने के क्या कारण हैं; और
(ग) इन विलंबित या रुकी हुई परियोजनाओं में फंसी हुई सरकारी निधि की राशि कितनी है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए**,** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं**,** अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) तथा केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत , खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू है और 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए इसका कुल परिव्यय 6520 करोड़ रुपये है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों के निर्माण में सहयोग करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पाद ब्रांडों को बढ़ावा देना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संचालित की जा रही है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 2025-26 तक की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू है।
उक्त तीनों योजनाओं के अंतर्गत देश भर में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक एमओएफपीआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): 31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1607 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1196 परियोजनाएं पूर्ण/चालू हैं और शेष 411 परियोजनाएं, जिनकी कुल परियोजना लागत 10983.35 करोड़ रुपये और स्वीकृत अनुदान 3005.3 करोड़ रुपये है, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

परियोजना के कार्यान्वयन में देरी विभिन्न कारकों के कारण होती है, जैसे कि संबंधित एजेंसियों (राजस्व प्राधिकरण, नगर नियोजन, विद्युत प्राधिकरण, जल प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लाइसेंसिंग प्राधिकरण आदि सहित) से वैधानिक मंजूरी प्राप्त न होना। इससे अनुदानों के वितरण में देरी होती है, क्योंकि पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संबंधित घटक योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर ही धनराशि का वितरण किया जाता है।

इन परियोजनाओं के लिए एमओएफपीआई द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। एमओएफपीआई ने इन परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं: (i) परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए डैशबोर्ड; (ii) कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता के लिए प्रमोटरों के साथ नियमित रूप से समीक्षा करना; (iii) परियोजनाओं के पूरा होने में देरी को रोकने के लिए साइट विज़िट के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना; (iv) परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण की स्वीकृति और वितरण में तेजी लाने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ मुद्दों को उठाना; (v) परियोजनाओं की विलंबित पूर्णता की स्थिति में प्रमोटरों पर दंडात्मक प्रावधान; (vi) परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुरोध पर भी एमओएफपीआई सुचारू एवं समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग और उनकी एजेंसियों के साथ इस मामले को उठाता है।

अनुबंध

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई, पीएमएफएमई और पीएलआईएसएफपीआई योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं" के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के भाग (क) से संदर्भित अनुबंध ।

क. पीएमकेएसवाई की शुरुआत से लेकर 31.12.2025 तक देश में संबंधित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण।

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएँ (संख्या में)	स्वीकृत अनुदान राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	2	3.17
2	आंध्र प्रदेश	75	754.51
3	अरुणाचल प्रदेश	12	82.10
4	असम	101	412.27
5	बिहार	15	170.19
6	चंडीगढ़	0	0.00
7	छत्तीसगढ	10	88.47
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	3.64
9	दिल्ली	22	11.30
10	गोवा	2	7.69
11	गुजरात	109	663.50
12	हरियाणा	99	396.91
13	हिमाचल प्रदेश	44	296.50
14	जम्मू और कश्मीर	41	203.40
15	झारखंड	2	0.94
16	कर्नाटक	98	403.83
17	केरल	54	308.10
18	लद्दाख	0	0.00
19	लक्षद्वीप	0	0.00
20	मध्य प्रदेश	51	344.12
21	महाराष्ट्र	242	1255.42
22	मणिपुर	6	57.26
23	मेघालय	9	66.76
24	मिजोरम	4	66.31
25	नागालैंड	4	63.99
26	ओडिशा	30	206.26
27	पुडुचेरी	2	0.81
28	पंजाब	75	425.59
29	राजस्थान	54	294.01
30	सिक्किम	1	3.64
31	तमिलनाडु	155	504.25
32	तेलंगाना	67	391.03
33	त्रिपुरा	9	64.46
34	उत्तर प्रदेश।	97	444.81
35	उत्तराखंड	59	472.91
36	पश्चिम बंगाल	55	255.53
कुल		**1607**	**8723.68**

ख. 31.12.2025 तक देश में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का राज्य-वार विवरण।

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	18	1.03
2	आंध्र प्रदेश	8651	137.81
3	अरुणाचल प्रदेश	149	9.26
4	असम	5194	58.97
5	बिहार	28648	660.88
6	चंडीगढ़	5	0.21
7	छत्तीसगढ	1442	62.49
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	12	0.42

9	दिल्ली	378	8.98
10	गोवा	141	5.40
11	गुजरात	1217	78.26
12	हरियाणा	1737	110.76
13	हिमाचल प्रदेश	2628	63.57
14	जम्मू और कश्मीर	2121	43.20
15	झारखंड	4665	94.82
16	कर्नाटक	8402	315.18
17	केरल	8478	221.96
18	लद्दाख	96	4.58
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	13221	442.85
21	महाराष्ट्र	27360	810.63
22	मणिपुर	310	21.69
23	मेघालय	237	4.07
24	मिजोरम	67	2.56
25	नागालैंड	440	7.84
26	ओडिशा	3075	91.35
27	पुडुचेरी	203	4.52
28	पंजाब	3108	266.83
29	राजस्थान	1444	85.11
30	सिक्किम	66	1.78
31	तमिलनाडु	17869	410.20
32	तेलंगाना	7345	106.23
33	त्रिपुरा	286	7.05
34	उत्तर प्रदेश।	22060	803.30
35	उत्तराखंड	1087	33.49
36	पश्चिम बंगाल	547	32.39
कुल		**172707**	**5009.67**

ग. पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत 31.12.2025 तक स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण |

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	स्वीकृत स्थानों की संख्या	प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	36	1043.89
2	असम	4	47.74
3	बिहार	7	488.66
4	छत्तीसगढ	1	40.93
5	गोवा	1	17.99
6	गुजरात	31	1343.76
7	हरियाणा	9	74.53
8	हिमाचल प्रदेश	4	10.66
9	जम्मू और कश्मीर	2	61.13
10	झारखंड	2	11.76
11	कर्नाटक	21	271.58
12	केरल	10	165.91
13	मध्य प्रदेश	10	468.15
14	महाराष्ट्र	41	941.98
15	ओडिशा	6	182.77
16	पंजाब	9	126.31
17	राजस्थान	6	244.82
19	तमिलनाडु	19	389.53
20	तेलंगाना	13	200.89
21	उत्तर प्रदेश।	26	1052.10
22	उत्तराखंड	7	116.05
23	पश्चिम बंगाल	9	161.63
कुल		**274**	**7462.77**